

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
135 / 2025

दायर दिनांक  
26.06.2025

निर्णय दिनांक  
16.12.2025

अनवान

1. मीनादेवी पत्नी बद्रीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. नाथू पिता उंकार जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पिता उंकार जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवान पिता उंकार जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतन लाल पिता लेहरू जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. रमेश पिता मांगु जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. झमकू पत्नी देवकिशन जाति खटीक आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रतन पिता देवकिशन जाति खटीक आयु वयस्क निवासी धोबीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. हेमी पत्नी उदा जाति भील आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट  
अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़

प्रार्थी  
अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 5 से 7



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 783 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3250 रकबा 0.42 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Page | 1

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 8 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस०गौड़ का अधिकार पत्र प्रस्तुत। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 783 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3250 रकबा 0.42 हैक्ट० कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू०अभि०निरी० धमाणा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुमलकर)  
सहायक कमिश्नर  
उपर्युक्त अधिकारी  
कपासन कशासन चित्तौडगढ